दिनांक- 23.02.2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

!! सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करों के विरूद्ध बड़ी कार्यवाही !!

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 08 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी,बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतू परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"** अभियान चलाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत नशा तस्करो के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने हेतू आदेशित किया गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद मे अपराध नियन्त्रण, नशे के अवैध कारोबार प्रतिबन्धित दवाओ की तस्करी / बिक्री की रोकाथाम व इन गतिविधियो मे शामिल अपराधियो की गिरफ्तारी हेतू लगातार अभियान चलाया जा रहा है ।इसी क्राम मे पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा दिनांक 22.02.2026 को गस्त/चैकिंग के दौरान मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त **उस्मान पुत्र अब्दुल मलिक निवासी ग्राम फिरोजाबाद थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** को फिरोजाबाद रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से कुल 08 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0स0 66/2026 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्क विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

उस्मान पुत्र अब्दुल मलिक निवासी ग्राम फिरोजाबाद थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 08 ग्राम अवैध स्मैक

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-

1. थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री नरेन्द्र सोलंकी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री रोहताश कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 925 पंकज चोधरी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
5. का0 2549 जिम्मी सागर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

दिनांक- 23.02.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर,अत्तर प्रदेश

अवैध खनन पर चिलकाना पुलिस का प्रहार: ओवरलोड खनन सामग्री से भरा 01 ट्रक सीज किया गया

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध खनन को रोकने के लिये जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही की जा रही है । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार के नेतृत्व में थाना चिलकाना पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक **23.02.2026** को चेकिंग के दौरान पठेड चैक पोस्ट पर 01 ट्रक रजि0 नं0- HR 58-C-4544 जो खनन सामग्री को ट्रक में ओवरलोड कर के ले जा रहा थो को सीज किया गया।

वाहन का विवरण -

01 ट्रक रजि0 नं0- HR 58-C-4544

वाहन सीज करने वाली पुलिस टीम—

1. थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार, थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री चन्द्रपाल सिंह, थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर
3. है0का0 157 सन्दीप कुमार, थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर
4. संग्रहण अमीन श्री अश्वनी कुमार तहसील सदर सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 23.02.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा एक गुमशुदा युवती को सकुशल बरामद कर परिजनो को सुपुर्द किया गया

अवगत कराना है कि दिनांक 21.02.26 को वादी धर्मवीर पुत्र सिंघा राम ग्राम बिन्नाखेड़ी थाना सरसावा जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत वादी की पुत्री दिनांक 19.02.2026 को अपने घर ग्राम बिन्नाखेड़ी से शान्ति धाम रोड सुखराज पैलेस सरसावा में शादी में गयी थी ,वहा से वापिस नहीं आयी।जिसके संबंध में थाना सरसावा पर गुमशुदगी दर्ज की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ,सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर युवती की सकुशल बरामदगी हेतु दिशा निर्देश दिए गए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.02.2026 को थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा चौकिंग/गस्त के दौरान गुमशुदा युवती को सकुशल बरामद उसके परिजनो को सुपुर्द किया गया।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार शर्मा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 महेश सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

2.म0उ0नि0 अन्नू परिहार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

3.म0का0 2123 सरिता थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

4.म0का0 364 वन्दना चौधरी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक 23-02-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-03 सहारनपुर द्वारा हत्या के अभियोग में 13 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 10 लाख 73 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः-

अवगत कराना है, कि दिनांक 12.11.2016 को वादी श्री इसरार पुत्र यामीन निवासी कुण्डा खुर्द थाना गंगोह जनपद सहारनपुर की सूचना पर अभियुक्तगण 1. मुनव्वर 2. मुस्तफा 3.सनव्वर 4.स्तकीम पुत्रगण सुब्बा 5.शौकीन 6.मोहसिन पुत्रगण मुस्तफा 7.अनवर पुत्र बनकर उर्फ बनरा 8.इस्लाम पुत्र बाकर 9.गुलजार 10. जमशेद पुत्रगण तोता 11. प्रवेज 12. राकिब पुत्रगण अनवर 13. अनवर पुत्र नत्थू निवासीगण कुण्डा खुर्द थाना गंगोह जनपद सहारनपुर द्वारा एक राय होकर कट्टो, तलवार व बल्कटी से लैस होकर जान से मारने की नीयत से तमंचो से फायर कर वादी के पिता यासीन व चाचा तासीन की हत्या कर देना व अखतरे, तासीन, अलीजान, गुलफाम, लियाकत व इस्लाम को गम्भीर चोट पहुंचाना जिसके सम्बंध में थाना गंगोह पर मु0अ0स0-625/2016 धारा 147/148/149/302/307/323/504/506 भादवि व मु0अ0सं0 687/2016 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट बनाम राकिब उपरोक्त व मु0अ0सं0 629/2016 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट सनव्वर उपरोक्त व मु0अ0सं0 637/2016 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट बनाम शौकीन उपरोक्त व मु0अ0सं0 688/2016 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट बनाम प्रवेज उपरोक्त थाना गंगोह जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-189/2017, 295/2017, 192/17, 190/17 ,191/17, 193/17 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-03 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-03 जनपद सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 23.02.2026 को अभियुक्तगण 1. मुनव्वर 2. मुस्तफा 3.सनव्वर 4.स्तकीम 5.शौकीन 6.मोहसिन 7.अनवर 8.इस्लाम 9.गुलजार 10.जमशेद 11.प्रवेज 12.राकिब 13.अनवर समस्त निवासीगण कुण्डा खुर्द थाना गंगोह जनपद सहारनपुर को थाना गंगोह पर पंजीकृत मु0अ0स0-625/2016 धारा 147/148/149/302/307/323/504/506 भादवि, मु0अ0सं0 687/2016 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट, मु0अ0सं0 629/2016 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट, मु0अ0सं0 637/2016 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 688/2016 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए 13 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 10 लाख 73 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

शासकीय अधिवक्ता-(ए0डी0जी0सी0) श्री दीपक सैनी
विवेचक-निरीक्षक श्री योगेश कुमार शर्मा
पैरोकार- है0का0 347 रवि अन्तल